भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1613

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन में विविधता

1613. श्री राहुल कस्वां:

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत परियोजनाओं, स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों, चालू किए गए सौर पंपों और कृषि फीडरों के सौरीकरण में हुई प्रगति का घटक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय विविधता के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत किसानों की कम भागीदारी के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार राजस्थान जैसे उच्च सौर क्षमता वाले राज्यों में कृषि फीडरों के सौरीकरण और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता देने के लिए कोई विशिष्ट रणनीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों की आय, कृषि विद्युत राजसहायता में कमी और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर पीएम-कुसुम के प्रभाव का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार द्वारा पीएम-कुसुम के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित मुख्य सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) PM-KUSUM एक मांग-संचालित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त मांग और उनके प्रदर्शन के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। राज्य की मांग के अनुसार, मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को मात्राएं आवंटित की है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों की घटक-वार और वर्ष-वार प्रगति **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ख) यह योजना मांग-आधारित है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। योजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) की जिम्मेदारी है। घटक- A के तहत, कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच के साथ-साथ किसानों की भूमि की उपलब्धता इसके कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कारक है। घटक-B के तहत, समय पर और पर्याप्त राज्य हिस्सेदारी की उपलब्धता वाले राज्यों ने सौर पंपों की स्थापना में प्रगति दिखाई है। घटक-C के तहत, कृषि फीडरों के लिए उच्च सब्सिडी वाले राज्य फीडरों को अलग कर रहे हैं और फीडर स्तर के सोलराइजेशन के माध्यम से कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ रहे हैं।

राज्य की सक्रिय भागीदारी और किसानों में जागरूकता के कारण, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि जैसे कुछ राज्य इस योजना को लागू करने में सबसे आगे हैं।

(ग) पीएम-कुसुम योजना के घटक A के अंतर्गत किसानों की भूमि पर 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों और घटक C के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण (फीडर स्तर के सौरीकरण सहित) का प्रावधान पहले से ही है। इस घटक के तहत सभी लक्षित क्षमताएं राजस्थान जैसे सौर संभाव्यता वाले राज्यों को आवंटित कर दी गई हैं।

(घ) पीएम कुसुम का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन मेसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया गया है, जिसने यह पहचान की है कि योजना ने विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में काफी सुधार किया है और किसानों के लिए सिंचाई विश्वसनीयता को बढ़ाया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सौर पंपों को अपनाने से किसानों की आय में लगभग 40% की वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि योजना को जारी रखने के लिए कार्यान्वयन को आसान बनाया जाए, राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए, संस्थागत समन्वय को मजबूत किया जाए, वित्त तक पहुंच में सुधार किया जाए और डिजिटल निगरानी को बढ़ाया जाए।

(ड.) पीएम कुसुम योजना का दायरा बढ़ाने के लिए, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसमें कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा और मार्गदर्शन बैठकें भी शामिल हैं। पीएम कुसुम योजना की कार्यान्वयन समयसीमा योजना के सभी घटकों के लिए दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ा दी गई है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन में विविधता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 29.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1613 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

PM KUSUM में पिछले पांच वर्षों में घटकवार और वर्षवार प्रगति

घटक क

(30.06.2026 तक)

क्र.सं	राज्य	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27
		MW	MW	MW	MW	MW	MW
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
4	असम	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	2.00	4.50	2.50	10.00
6	बिहार	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	गोवा	-	-	-	-	4.00	-
9	हरियाणा	-	2.25	-	4.40	49.56	4.00
10	हिमाचल प्रदेश	14.50	5.20	3.20	37.05	40.05	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-
12	झारखंड	-	-	-	-	-	-
13	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
14	केरल	-	-	-	-	-	-
15	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
16	मध्य प्रदेश	-	4.00	12.13	34.00	54.65	96.88
17	महाराष्ट्र	-	-	2.00	4.00	11.00	4.00
18	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
19	मेघालय	-	-	-	-	-	-
20	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
21	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
22	ओडिशा	-	-	-	-	-	2.00
23	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-
24	पंजाब	-	-	-	-	-	-
25	राजस्थान	21.50	52.50	47.00	312.25	302.71	500.09
26	तमिलनाडु	-	-	-	1.00	2.00	-

27	तेलंगाना	-	-	-	-	22.00	57.00
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
29	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	1.00	-
30	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
31	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-
	कुल	**36**	**63.95**	**66.33**	**397.2**	**489.47**	**673.97**

घटक ख

(30.06.2026 **तक**)

क्र.सं	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**वित्त वर्ष 2026-27**
		स्थापित पंप	**स्थापित पंप**	**स्थापित पंप**	**स्थापित पंप**	**स्थापित पंप**	**स्थापित पंप**	**स्थापित पंप**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	126	73	252	248	-
4	असम	-	-	-	-	-	1,238	357
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-
6	बिहार	-	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	93	366	2,000	939	6,825	10,369	2,195
8	गोवा	-	-	-	-	100	100	-
9	हरियाणा	8,810	21,985	13,528	42,677	66,727	31,855	9,387
10	हिमाचल प्रदेश	40	185	276	137	237	228	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	103	426	309	1,450	2,242	341
12	झारखंड	381	6,336	5,844	424	19,298	25,378	11,126
13	कर्नाटक	76	238	-	-	1,668	10,494	14,330
14	केरल	-	-	8	-	-	-	-
15	लद्दाख	-	-	-	-	-	265	-
16	मध्य प्रदेश	7,234	-	91	-	-	2,435	14,922
17	महाराष्ट्र	-	2,426	40,809	40,785	2,86,559	1,51,791	29,601

18	मणिपुर	-	28	-	50	-	72	10
19	मेघालय	-	35	-	47	16	-	-
20	मिजोरम	-	-	-	40	40	512	-
21	नागालैंड	-	-	-	65	-	200	-
22	ओडिशा	110	647	548	106	4,271	8,845	1,253
23	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-
24	पंजाब	1,276	5,358	6,198	78	71	4,930	17
25	राजस्थान	8,644	18,929	31,588	6,318	33,713	27,701	746
26	तमिलनाडु	988	199	1,857	192	951	999	-
27	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	63	358	1,267	429	2,121	4,126	826
29	उत्तर प्रदेश	2,959	3,883	13,203	12,167	31,133	8,193	-
30	उत्तराखंड	-	-	318	-	712	1,477	362
31	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**30,674**	**61,076**	**1,18,087**	**1,04,836**	**4,56,144**	**2,93,698**	**85,473**

घटक ग

(30.06.2026 **तक**)

क्र. सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**वित्त वर्ष 2026-27**
		सोलराइज्ड पंप	**सोलराइज्ड पंप**	**सोलराइज्ड पंप**	**सोलराइज्ड पंप**	**सोलराइज्ड पंप**	**सोलराइज्ड पंप**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
4	असम	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	बिहार	-	-	-	-	-	4,570
7	गुजरात	-	-	-	1,16,390	1,70,793	16,073
8	गोवा	-	-	700	-	-	-
9	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-
12	झारखंड	-	-	-	-	-	-
13	कर्नाटक	-	-	-	8,586	96,170	29,619
14	केरलम्	-	-	4,421	3,284	3,259	845
15	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
16	मध्य प्रदेश	-	-	-	7,417	44,598	10,363
17	महाराष्ट्र	-	-	3,650	1,63,947	6,07,403	1,00,000
18	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
19	मेघालय	-	-	-	-	-	-
20	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
21	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
22	ओडिशा	-	-	-	-	-	-
23	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-
24	पंजाब	-	-	-	-	-	-
25	राजस्थान	-	-	436	24,021	1,68,509	29,887
26	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
27	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
29	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	1,025	1,092
30	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
31	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**9,207**	**3,23,645**	**10,91,757**	**1,92,449**
